TIMES OF INDIA, Chandigarh, 4.2.2025
Page No. 3, Size:(14.53)cms X (7.59)cms.

Trafficked from UP for bonded labour, 47 rescued from brick kiln in Moga

Neel.Kamal@timesofindia.com

Bathinda: Acting on directions from the National Human Rights Commission (NHRC) and the National Commission for Protection of Child Rights (CPCR), Moga district administration on Monday rescued 47 persons, including 21 children, from a brick kiln which is accused of trafficking them to be engaged as bonded labour.

Nine others belonging to two families left the kiln before the district administration's team could reach the spot. In all, 56 people belonging to 10 families, including 26 children, were alleged to have been trafficked.

People rescued from a brick kiln in Moga district

Delhi-based Nirmal Gorana, convener of National Campaign Committee for Eradication of Bonded Labour, lodged complaints with NHRC and CPCR on Jan 30, stating that 56 bonded labourers, including 16 men, 14 women, and 26 children belonging to 10 families from the SC community, were trafficked to Moga from Uttar Pradesh to work in the kiln.

Moga deputy commissioner Vishesh Sarangal, when contacted, said, "Only this morning, the persons concerned met me. Immediately, a team was formed to look into the matter and rescue the bonded labourers if the facts in the complaint were true. Appropriate action will be taken against the accused if facts are found to be true, and an FIR will be lodged."

PIONEER (HINDI), Lucknow, 4.2.2025
Page No. 03, Size:(22.56)cms X (18.41)cms.

कैदियों के मानवाधिकार पर बीबीएयू में हुआ एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में सोमवार को विधि विभाग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संयुक्त तत्वाधान में कैदियों के मानवाधिकार-मुद्दे, चुनौतियां और संभावनाएं विषय पर एकदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें देश भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। राष्ट्रीय संगोष्ठी की थीम पुलिस, जेल सुधार और कैदियों के अधिकार विषय पर आधारित रही। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एस.के. द्विवेदी ने की। कुलपति प्रो. एस.के. द्विवेदी ने मानवाधिकार और कानूनी सुधार के क्षेत्र में शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों के अहम योगदानों पर चर्चा की एवं शिक्षा को सुधार का एक अहम माध्यम बताया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कैदियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग एवं रिहेबलिटेशन प्रोग्राम पर अपने विचार रखे। उत्तर प्रदेश के कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा के पुलिस महानिदेशक श्री पी.वी. रामाशास्त्री ने मेन्डेला नियम, कैदी एक्ट एवं जेल मैनुअल पर गंभीरता से प्रकाश डाला, जो कैदियों के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। साथ ही उन्होंने सजा पूर्ण कर चुके दोषियों की सामाजिक स्वीकृति और पुनर्वास के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण पर जोर दिया। कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. मेहराज उद्दीन मीर ने जेल सुधारों और संवैधानिक सुरक्षा में न्यायिक हस्तक्षेप पर चर्चा की। उन्होंने कैदी पुनर्वास और न्यायिक प्रणाली की जटिलताओं पर जोर दिया, जहां अपराध को एक उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने न्यायिक प्रणाली की कमियों को उजागर किया एवं कैदियों की मानसिक स्थिति पर चर्चा की। बीबीएयू की कुलसचिव प्रो. यूवी किरण ने भी कैदियों के अधिकारों एवं न्यायिक प्रणाली पर अपने विचार रखे।

DAINIK JAGRAN (JAGRAN CITY), Lucknow, 4.2.2025
Page No. 3, Size:(4.21)cms X (12.38)cms.

'पुनर्वास के लिए सहयोग दृष्टिकोण अपनाएं'

जासं ● लखनऊ : बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) में विधि विभाग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संयुक्त तत्वाधान में 'कैदियों के मानवाधिकार : मुद्दे, चुनौतियां और संभावनाएं' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें देश भर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एसके द्विवेदी ने की।

मुख्य अतिथि कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा के पुलिस महानिदेशक पीवी रामाशास्त्री ने मेंडेला नियम, कैदी एक्ट एवं जेल मैनुअल पर चर्चा की। उन्होंने सजा पूर्ण कर चुके दोषियों की सामाजिक स्वीकृति के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण पर जोर दिया। कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. मेहराज उद्दीन मीर ने कैदी पुनर्वास, न्यायिक प्रणाली की जटिलताओं पर जोर दिया।

AMAR UJALA (MY CITY), Lucknow, 4.2.2025
Page No. 4, Size:(3.08)cms X (6.13)cms.

मानवाधिकार व कानूनी सुधार में शिक्षण संस्थानों का है योगदान

लखनऊ। बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय में विधि विभाग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से कैदियों के मानवाधिकारों पर चर्चा के लिए संगोष्ठी हुई।

कुलपति एसके द्विवेदी ने कहा कि मानवाधिकार और कानूनी सुधार के क्षेत्र में शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों का अहम योगदान है। कारागार प्रशासन व सुधार सेवा के पुलिस महानिदेशक पीवी रामाशास्त्री ने जेल में मंडेला नियम, कैदी एक्ट और जेल मैनुअल पर प्रकाश डाला। कहा कि कैदियों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था में बदलाव जरूरी है।

कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी प्रो. मेहराजउद्दीन मीर ने कैदियों की मानसिक स्थिति पर चर्चा की। (संवाद)

HINDUSTAN, Sultanpur, 4.2.2025
Page No. 11, Size:(5.70)cms X (7.33)cms.

महाकुम्भ नगर में सोमवार को वसंत पंचमी के मौके पर स्नानार्थियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई।

कुम्भ हादसे का मामला एनएचआरसी पहुंचा

रामपुर। महाकुम्भ हादसे का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। वीवीआईपी और वीआईपी पास जारी करने वाले अधिकारियों को इस हादसे का दोषी बताते हुए केस दर्ज कराने का अनुरोध किया है। आयोग ने शिकायत दर्ज कर ली है। रामपुर की मॉडल कालोनी निवासी डीके फाउंडेशन आफ फ्रीडम एंड जस्टिस के डायरेक्टर दानिश खां ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करायी है। जिसमें प्रयागराज में कुछ दिन पूर्व घटित घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने एवं गहन जांच करने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

DAINIK BHASKAR, Muzaffarpur, 4.2.2025
Page No. 1, Size:(18.51)cms X (11.27)cms.

एसकेएमसीएच में नवजात को कुत्तों के खा लेने का मामला

मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी को सदेह हाजिर होने को कहा, अगली सुनवाई 12 को

सिटी रिपोर्टर | मुजफ्फरपुर

एसकेएमसीएच में नवजात को कुत्तों के खा लेने के मामले में जांच रिपोर्ट अब तक नहीं मिलने पर मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी को सदेह हाजिर होने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने सशर्त समन जारी करते हुए कहा कि यदि पूरी जांच रिपोर्ट 12 मार्च से पूर्व आयोग को मिल जाए तो सदेह उपस्थिति को टाला जा सकता है। आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए यह नोटिस 3 फरवरी को एसएसपी को भेजा है। मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। गौरतलब है कि 15 मई 2024 को एसकेएमसीएच के मुख्य द्वार पर एक नवजात को कुत्तों ने नोंच-नोंचकर खा लिया। इसके पहले 15 जनवरी को भी कुत्तों द्वारा एक नवजात को खाए जाने का मामला प्रकाश में आया था। इस खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने इन मामलों को लेकर राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की थी। याचिका पर संज्ञान लेते हुए मानवाधिकार आयोग ने उसी समय डीएम को नोटिस भेजा। मामले में अहियापुर थाने में तीन अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की गई।

PRABHAT KHABAR, Muzaffarpur, 4.2.2025
Page No. 3, Size:(28.15)cms X (11.09)cms.

एसएसपी को आयोग के समक्ष सदेह उपस्थित होने का नोटिस

संवाददाता, मुजफ्फरपुर

एसकेएमसीएच परिसर में नवजात शिशु को कुत्तों के द्वारा खाये जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी मुजफ्फरपुर को सशर्त सम्मन जारी किया है. आयोग ने एसएसपी मुजफ्फरपुर को सदेह उपस्थित होने का आदेश देते हुए कहा कि यदि पूरी जांच रिपोर्ट 12 मार्च से पूर्व आयोग को प्राप्त हो जाये तो सदेह उपस्थिति को टाला जा सकता है बता दें कि विगत वर्ष 15 मई को श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के मुख्य द्वार पर एक नवजात बच्चे को कुत्तों के द्वारा नोच-नोचकर खाया जा रहा था. कुत्ते घंटों तक नवजात बच्चे को नोचते रहे. लेकिन अस्पताल प्रबंधन या पुलिस की ओर से कोई पहल नहीं हुई. 15 जनवरी को भी कुत्ते के द्वारा एक नवजात बच्चे को खाये जाने का मामला प्रकाश में आया था, जो राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष विचाराधीन है. मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग में इन सभी मामलों में याचिका दायर की थी और मामले की गंभीरतापूर्वक जांच करते हुए दोषियों पर कठोर-से-कठोर कार्रवाई की मांग की थी. उसके बाद मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को नोटिस जारी किया था. इस पूरे मामले में अहियापुर थाने में तीन अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तीनों प्राथमिकी की वर्तमान स्थिति और जांच के बारे में मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन से लगातार रिपोर्ट मांग रही है, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन द्वारा आयोग को रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा है. उसके बाद तीन फरवरी को आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए एसएसपी मुजफ्फरपुर को सदेह उपस्थित होने हेतु सम्मन जारी किया है. इस मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी.

MSN

AIKS Delegation Meets Kiren Rijiju; Demands Minority Status, Commission For Kashmiri Pandits

https://www.msn.com/en-in/news/India/aiks-delegation-meets-kiren-rijiju-demands-minority-status-commission-for-kashmiri-pandits/ar-AA1yjtEG?apiversion=v2&noservercache=1&domshim=1&renderwebcomponents=1&wcseo=1&batchservertelemetry=1&noservertelemetry=1

Story by Akash Sinha | • 9h • 1 min read

AIKS Delegation Meets Kiren Rijiju; Demands Minority Status, Commission For Kashmiri Pandits

A delegation from All India Kashmiri Samaj (AIKS), led by its president Ravinder Pandita, met Kiren Rijiju, Minister of Minority Affairs and Parliamentary Affairs, in New Delhi today. They discussed and presented a memorandum seeking minority status and benefits for minorities within the state.

According to Ravinder Pandita, "The minister acknowledged the irony that Kashmiri Hindus are considered a minority in the state but a majority in the union, a situation similar to that in a few other states. He listened attentively to the points raised by AIKS, including the demand for constituting a Minorities Commission in J&K, officially declaring us as a minority, and referred to the Supreme Court’s 2018 directive in a petition by Ankur Sharma, as well as Justice Venkatachaliah's NHRC report."

Pandita further stated, "The minister was informed about past meetings with the National Commission for Minorities (NCM) and the recommendations made. The issue has gained significance after the abrogation of Article 370 and the unification of Jammu & Kashmir."

He added, "We also urged the reopening of Sharda Peeth in PoK, similar to the Kartarpur Corridor. After hearing the delegation, the minister suggested that a larger group should meet the Hon'ble Minister to discuss these political issues. He assured us that he would facilitate a meeting with the Home Ministry."

The Global Kashmir

AIKS meets Kiren Rijiju, Minister of Minorities affairs – demand Minority status and commission for Kashmiri Pandits

https://globalkashmir.net/aiks-meets-kiren-rijiju-minister-of-minorities-affairs-demand-minority-status-and-commission-for-kashmiri-pandits/

by News Desk | February 3, 2025

New Delhi : All India Kashmiri Samaj (AIKS) led by its president Ravinder Pandita called on Kiren Rijiju, minister of minorities and Parliamentary affairs in New Delhi today. AIKS discussed and presented him a memorandum seeking minority status and benefits to minorities within the state. The minister said that it was irony that Kashmiri hindus are minorities in state but majority in union which is true with a few states more. He listened to the points raised by AIKS like constituting a minorities commission in J&K, declaring us minorities and referred to SC direction of 2018 in a petition by Ankur Sharma as also Justice Venkatachaliah NHRC report. The minister was apprised of various meetings with NCM in the past also and recommendations also thereof. The issue assumes significance after abrogation of Art 370 and unification of J&K state, says Ravinder Pandita, President of AIKS.

AIKS presented and felicitated Kiren Rijiju with a Sharda shawl and portrait. AIKS also urged for reopening of Sharda Peeth PoK on the lines of Kartarpur. The Minister after hearing the delegation suggested that a larger delegation should meet Hon'ble minister with these political issues and assured AIKS that he will facilitate a meeting with Home ministry.

AIKS team comprising its General Secy. Sunil Koul, Sr. Vice President Vijay Kashkari, noted debator & activist Amit Raina and Shrawan Pandita, invited Kiren Rijiju for Intl Mother Tongue day festival to be organised in New Delhi on 22 February and presented him the latest issue of Naad Magazine, official mouthpiece of AIKS.

Malaysia Sun

Kashmiri Pandits meet Kiren Rijiju, demand minority status, reopening of Sharda Peeth

https://www.malaysiasun.com/news/275015983/kashmiri-pandits-meet-kiren-rijiju-demand-minority-status-reopening-of-sharda-peeth

ANI | 03 Feb 2025, 19:03 GMT+10

New Delhi [India], February 3 (ANI): All India Kashmiri Samaj (AIKS), led by its president Ravinder Pandita, met with Kiren Rijiju, the Minister of Minority Affairs and Parliamentary Affairs, in New Delhi today.

According to a press release, during the meeting, AIKS presented a memorandum seeking the declaration of Kashmiri Pandits as a minority community and the establishment of a dedicated commission to address their concerns within the JammuKashmir region.

Pandita discussed the current situation of Kashmiri Hindus, pointing out the irony that they are considered a minority in JammuKashmir but a majority in the union territory as a whole.

"This issue also applies to a few other states," said the minister. He listened attentively to the points raised by AIKS, including the urgent need for a Minorities Commission in JammuKashmir, the official declaration of Kashmiri Pandits as minorities, and referenced the Supreme Court's 2018 direction in the petition filed by Ankur Sharma as well as the Justice Venkatachaliah NHRC report.

As per the release, Pandita emphasized that the demand has become more significant following the abrogation of Article 370 and the unification of JammuKashmir. He highlighted the importance of these issues in the current political landscape.

The release stated, "In recognition of the minister's time and consideration, AIKS presented Kiren Rijiju with a Sharda shawl and a portrait."Additionally, AIKS urged for the reopening of the Sharda Peeth in PoK (Pakistan-occupied Kashmir) on the lines of the Kartarpur Corridor, to promote religious and cultural exchange, the release noted.

The Minister, after hearing the delegation, suggested that a larger group meet the Home Minister to address these political issues. He assured AIKS that he would facilitate a meeting with the Home Ministry to discuss these matters further, said the release.

AIKS team members, including General Secretary Sunil Koul, Senior Vice President Vijay Kashkari, noted debater and activist Amit Raina, and Shrawan Pandita, invited Kiren Rijiju to the International Mother Tongue Day festival to be organized in New Delhi on 22nd February. The team also presented him with the latest issue of Naad Magazine, the official mouthpiece of AIKS. (ANI)

Verdictum

Purpose Of Human Rights Act Would Be Nullified If Commissions Are Rendered Powerless & Held To Be Mere Recommendatory Bodies: Delhi HC

https://www.verdictum.in/court-updates/high-courts/delhi-high-court/kiran-singh-v-national-human-rights-commission-2025-dhc-456-db-fake-encounter-1566840

3 February 2025

The Delhi High Court remarked that the purpose of the Human Rights Act, 1993 and the reasons for its enactment would be nullified if the Commissions are rendered powerless and are held to be mere recommendatory bodies.

The Court remarked thus in a Writ Petition relating to a case of alleged fake encounter by the Special Cell of the Delhi Police that took place on May 5, 2006 where five members of the Ayub/Aslam gang died and the sixth member allegedly escaped into the darkness.

A Division Bench comprising Justice Prathiba M. Singh and Justice Amit Sharma observed, “The purpose of the Human Rights Act and the reasons for its enactment would be nullified if the Commissions are rendered powerless and are held to be mere recommendatory bodies. The recommendations are binding in nature. The concerned authority/government, however, is not without remedy and can always seek judicial review of the recommendations. Any view to the contrary, that the Human Rights Commissions can only make recommendations, which are not binding, would render the said Commissions completely toothless and nullify the object of India ratifying the Universal Declaration of Human Rights.”

The Bench emphasised that human rights are not ordinary rights and these rights are integral to Article 21 of the Constitution which recognizes the Right to Life.

Advocate Saurabh Prakash appeared on behalf of the Petitioner while Senior Advocate Dayan Krishnan appeared on behalf of the Respondents.

Facts of the Case

The case was related to an alleged fake encounter by the Special Cell of the Delhi Police that took place on the night of May 5, 2006, where five members of the Ayub/Aslam gang died and the 6th member was stated to have escaped into the darkness. The said gang was involved in more than 70 cases of murder, attempt to murder, dacoity, robbery, rape, etc. The Petition was filed by the father of the member of the said gang who lost his life in the alleged fake encounter.

As per the Petition, the deceased used to run a provision store and it was submitted that he did not have prior criminal antecedents. He was made an accused in two FIRs under Sections 397, 395, and 34 of the Indian Penal Code (IPC) but was acquitted in both the cases. The deceased had a wife and two daughters. The Petitioner sought directions to the Respondents to give concurrence for an impartial CBI (Central Bureau of

Investigation) inquiry into the alleged killings and to give compensation of Rs. 5 lakhs to the legal heirs of the deceased gang members including the one who was missing.

Reasoning

The High Court in view of the facts and circumstances of the case, said, “The Court does not agree with the stand of the Delhi Police that in each and every case, the NHRC ought to be forced to approach the Court for implementation of its own decisions. The NHRC is not meant to become a litigant before Courts.”

The Court further noted that the Commissions under the Human Rights Act are meant to look into any infractions and exercise powers under the Act and the Reports and Recommendations of Human Rights Commissions (HRCs) need to be treated with seriousness and not rendered edentulous or pointless.

“If Governments are aggrieved, they are free to challenge the orders of State Commissions and NHRC. But such inquiries and reports cannot be simply ignored. Human Rights Commissions are not to be ‘toothless tigers’ but have to be ‘fierce defenders’ safeguarding the most basic right of humans i.e., the right to live without fear and to live with dignity”, it added.

Having held that the recommendations of the HRC would be binding in nature, the Court was of the opinion that the compensation, as awarded, deserves to be paid.

“The deceased has two daughters, both of whom are studying. They have been brought up by their paternal grand-parents i.e., dada and dadi. … Since there was no challenge to the direction given by the NHRC, which in the opinion of this Court, is binding on the government, it is directed that the compensation shall be released by the MHA for a sum of Rs.5 lakhs along with simple interest @ 18% within a period of three months”, it directed.

Accordingly, the High Court allowed the Writ Petition.

Cause Title- Kiran Singh v. National Human Rights Commission & Ors. (Neutral Citation: 2025:DHC:456-DB)

Appearance:

Petitioner: Advocates Saurabh Prakash, Utsav Jain, and Anant Aditya Patro.

Respondents: Senior Advocate Dayan Krishnan and SPP Rajesh Mahajan.

Mooknayak

IIM-B में सूरत के आदिवासी छात्र की मौत पर बामसेफ गुजरात ने कहा—SIT करें जांच, उच्च शिक्षण संस्थानों में SC/ST/OBC स्टूडेंट्स की सुरक्षा पर उठाए सवाल

BAMCEF का आरोप है कि इन प्रतिष्ठित संस्थानों में जातिगत हिंसा को नजरअंदाज किया जाता है और व्यवस्थागत भेदभाव के कारण इन घटनाओं की निष्पक्ष जाँच नहीं होती। 2004 से 2024 के बीच, सिर्फ IITs में 115 मौतों को आत्महत्या करार दिया गया, लेकिन कई मामलों में जातिगत भेदभाव और हिंसा के संकेत मिले हैं।

https://www.themooknayak.com/tribal-news/pattern-of-deaths-in-elite-institutes-bamcef-gujarat-pushes-for-sit-inquiry-into-st-students-death-at-iim-b

Geetha Sunil Pillai | Published on: 03 Feb 2025, 12:16 pm

सूरत - भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) बेंगलुरु में एमबीए कर रहे अनुसूचित जनजाति (ST) छात्र निलय कैलाशभाई पटेल की मौत ने प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में हाशिए के समुदायों के छात्रों की सुरक्षा और व्यवहार को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। पटेल का शव रविवार, 5 जनवरी 2025 को सुबह 6:45 बजे छात्रावास परिसर की सड़क पर एक सुरक्षा गार्ड को मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कई चोटें और सदमे (शॉक) को मौत का कारण बताया गया, जिससे झगड़े की संभावना भी जताई जा रही है।

इस घटना के बाद, गुजरात के सूरत में स्थित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक कर्मचारी महासंघ (BAMCEF) ने बेंगलुरु पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर इस मामले में विशेष जांच दल (SIT) से निष्पक्ष जाँच कराने की माँग की है।

संगठन ने न केवल पटेल की मौत, बल्कि IIM, IIT और मेडिकल कॉलेज जैसे प्रमुख संस्थानों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों से जुड़े व्यापक मुद्दों को भी उठाया है।

पटेल की मौत से जुड़े मुख्य तथ्य और परिस्थितियाँ

पटेल ने शनिवार, 4 जनवरी 2025 की रात अपने छात्रावास में दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाया था। रात 11:30 बजे उसे आखिरी बार अपने दोस्त के कमरे से लौटते हुए देखा गया।अगली सुबह उसका शव छात्रावास परिसर में मिला। पटेल एक मेधावी छात्र था और हाल ही में उसे एक ई-कॉमर्स कंपनी में उच्च वेतन वाली नौकरी मिली थी, जहाँ उसे सोमवार को ज्वाइन करना था।

BAMCEF ने इस मौत को सुप्रीम कोर्ट में लंबित उस जनहित याचिका (PIL) से जोड़ा है, जिसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की शिकायतों और समान अवसरों को लेकर सुनवाई चल रही है। संगठन ने इसे SC, ST और OBC छात्रों के खिलाफ बढ़ती हिंसा का एक हिस्सा बताया और जातिगत समूहों द्वारा निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया।

BAMCEF से जुड़े सामाजिक कार्यकर्त्ता एडवोकेट परीक्षित राठौड ने इस मामले की निष्पक्ष जाँच के लिए निम्नलिखित माँगें रखी:

SIT जाँच: पटेल की मौत की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल गठित किया जाए।

अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हो: चूँकि पटेल अनुसूचित जनजाति (ST) से था, इसलिए इस मामले में SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम लगाया जाए।

हत्या के रूप में जाँच हो: इस मामले को आत्महत्या के बजाय हत्या मानकर भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की धाराओं के तहत जाँच की जाए।

CCTV फुटेज की जाँच: छात्रावास के 'F' ब्लॉक सहित सभी ब्लॉकों के 4 जनवरी रात 10:30 बजे से 5 जनवरी सुबह 7:00 बजे तक के सीसीटीवी फुटेज की जाँच की जाए।

जन्मदिन समारोह में शामिल लोगों की पहचान: पटेल के जन्मदिन समारोह में मौजूद सभी व्यक्तियों की सूची बनाई जाए और उनके बयान दर्ज किए जाएँ।

द्वितीय पोस्टमार्टम: मौत के कारणों की पुष्टि के लिए एक दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कराई जाए और यह भी जाँचा जाए कि पटेल ने कोई नशीला पदार्थ या विषाक्त पदार्थ तो नहीं लिया था।

फोरेंसिक रिपोर्ट सार्वजनिक हो: यदि पहले से कोई फोरेंसिक जाँच हुई है, तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।

मृत्यु का सटीक समय बताया जाए: पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पटेल की मृत्यु का सही समय स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाए।

उच्च शिक्षण संस्थानों में मौतों का पैटर्न

अधिवक्ता परीक्षित राठौड ने SC, ST और OBC छात्रों की मौतों में एक खतरनाक प्रवृत्ति की ओर इशारा किया है।उनका दावा है कि कई मामलों में आत्महत्या का निष्कर्ष निकालकर हत्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

2004 से 2024 के बीच, सिर्फ IITs में 115 मौतों को आत्महत्या करार दिया गया, लेकिन कई मामलों में जातिगत भेदभाव और हिंसा के संकेत मिले हैं। BAMCEF का आरोप है कि इन प्रतिष्ठित संस्थानों में जातिगत हिंसा को नजरअंदाज किया जाता है और व्यवस्थागत भेदभाव के कारण इन घटनाओं की निष्पक्ष जाँच नहीं होती।

पत्र में यह भी चिंता जताई गई है कि संगठित जातिगत समूह इन छात्रों को निशाना बना सकते हैं ताकि वे सरकारी और निजी क्षेत्रों में आगे न बढ़ सकें।

BAMCEF ने केवल SIT जाँच की ही माँग नहीं की, बल्कि सरकार से SC, ST और OBC छात्रों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील भी की है। संगठन ने संस्थानों में एक सशक्त शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने और छात्रावासों तथा अकादमिक परिसरों में जातिगत भेदभाव के खिलाफ कड़े नियम लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

पत्र की प्रतियाँ कई प्रमुख अधिकारियों को भेजी गई हैं, जिनमें अंतर सिंह आर्य, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पी.बी. गोंडिया, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, SC/ST एवं कमजोर वर्गों पर अत्याचार रोकथाम, गुजरात, महानिदेशक (जाँच), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, किशोर मकवाना, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एव राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आदि शामिल हैं।

Prabhat Khabar

Muzaffarpur News: जिला एसएसपी को सम्मन जारी, कुत्तों द्वारा नवजात को नोंच-नोंचकर खाने का है मामला

https://www.prabhatkhabar.com/state/bihar/muzaffarpur/muzaffarpur-news-national-human-rights-commission-issued-summons-to-district-ssp

Muzaffarpur News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नवजात शिशु को कुत्तों के द्वारा खाये जाने के मामले में जिला एसएसपी को सम्मन जारी किया है. इस पूरे मामले में अहियापुर थाने में तीन अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. पढ़ें पूरी खबर…

By Aniket Kumar | February 3, 2025 9:40 PM

Muzaffarpur News: जिले के एसकेएमसीएच कैंपस में नवजात शिशु को कुत्तों के द्वारा खाये जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एसएसपी मुजफ्फरपुर को सशर्त सम्मन जारी किया है. आयोग ने एसएसपी मुजफ्फरपुर को उपस्थित होने का आदेश देते हुए कहा कि यदि पूरी जांच रिपोर्ट 12 मार्च से पहले आयोग को प्राप्त हो जाए तो सदेह उपस्थिति को टाला जा सकता है. बता दें कि बीते साल 15 मई को श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के मेन गेट पर एक नवजात बच्चे को कुत्तों के द्वारा नोच-नोचकर खाया जा रहा था. कुत्ते घंटों तक नवजात बच्चे को नोचते रहे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन या पुलिस की तरफ से कोई पहल नहीं हुई.

आयोग ने डीएम को जारी किया था नोटिस

15 जनवरी को भी कुत्ते के द्वारा एक नवजात बच्चे को नोंच कर खाए जाने का मामला सामने आया था, जो राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष विचाराधीन है. मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग में इन सभी मामलों में याचिका दायर की थी और मामले की गंभीरतापूर्वक जांच करते हुए दोषियों पर कठोर-से-कठोर कार्रवाई की मांग की थी. उसके बाद मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को नोटिस जारी किया था.

एसएसपी को जारी किया सम्मन

इस पूरे मामले में अहियापुर थाने में तीन अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तीनों प्राथमिकी की वर्तमान स्थिति और जांच के बारे में मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन से लगातार रिपोर्ट मांग रही है, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन द्वारा आयोग को रिपोर्ट नहीं दिया जा रहा है. उसके बाद 3 फरवरी को आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए एसएसपी मुजफ्फरपुर को सदेह उपस्थित होने हेतु सम्मन जारी किया है. इस मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी.

First Bihar

Bihar News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के SSP को किया तलब, जानिए.. किस मामले में जारी हुआ नोटिस

Bihar News: राष्ट्रीय मानवाधिकारी ने मुजफ्फरपुर के एसएसपी को नोटिस जारी कर दिल्ली तलब किया है। एसकेएमसीएच से जुड़े मामले में आयोग ने एसएसपी को 12 मार्च को सदेह हाजिर होने को कहा है।

https://firstbihar.com/bihar/muzaffarpur-news/nhrc-summoned-to-muzaffarpur-ssp-615144

03-Feb-2025 04:24 PM

By MANOJ KUMAR

Bihar News: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुजफ्फरपुर के SSP को तलब किया है। आयोग ने नोटिस जारी कर एसएसपी को सशरीर उपस्थित होने को कहा है। एसकेएमसीएच से जुड़े एक मामले में मानवाधिकार आयोग ने समन जारी किया है।

दरअसल, मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में नवजात शिशु को कुत्तों के द्वारा खाये जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक को सम्मन जारी किया है। आयोग ने एसएसपी को सदेह उपस्थित होने के लिए समन जारी करते हुए कहा कि यदि पूरी जांच रिपोर्ट 12 मार्च से पहले आयोग को प्राप्त हो जाये तो सदेह उपस्थिति को टाला जा सकता है।

पिछले साल 15 मई को श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के मुख्य द्वार पर एक नवजात बच्चे को कुत्तों के द्वारा नोच-नोचकर खाया जा रहा था। कुत्ते घंटों तक नवजात बच्चे को नोचते रहे लेकिन अस्पताल प्रबंधन या पुलिस की ओर से कोई पहल नहीं हुई। यहां तक कि अस्पताल के गार्ड भी तमाशबीन बने रहे। वर्ष 15 जनवरी को भी कुत्ते के द्वारा एक नवजात बच्चे को खाये जाने का मामला प्रकाश में आया था, जो राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष विचाराधीन है।

मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग में इन सभी मामलों में याचिका दायर की थी और मामले की गंभीरतापूर्वक जांच करते हुए दोषियों पर कठोर-से-कठोर कार्रवाई की मांग की थी। उसके बाद मानवाधिकार आयोग ने मुजफ्फरपुर डीएम को नोटिस जारी किया था। जिसके बाद जिले की प्रशासनिक व्यवस्था सक्रिय हो गई। इस पूरे मामले में अहियापुर थाने में तीन अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई, जो अहियापुर थाना कांड संख्या 75/24, 1429/24 तथा 1500/24 हैं।

उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तीनों केस की वर्तमान स्थिति और जांच के बारे में मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन से लगातार रिपोर्ट मांग रही है, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन द्वारा आयोग को रिपोर्ट नहीं नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद 3 फ़रवरी को आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए मुजफ्फरपुर एसएसपी को सदेह उपस्थित होने का समन जारी किया है। आयोग ने कहा कि यदि पूरी जांच रिपोर्ट 12 मार्च से पूर्व आयोग को प्राप्त हो जाये तो सदेह उपस्थिति को टाला जा सकता है, अन्यथा एसएसपी मुजफ्फरपुर स्वयं उपस्थित होकर जबाव देंगे।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सख़्ती के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने बताया कि यह पूरा मामला काफी हृदय विदारक है तथा मानवाधिकार उल्लंघन के अतिगंभीर श्रेणी का मामला है। मामले की गंभीरतापूर्वक व गहनतापूर्वक जांच की आवश्यकता है और इस प्रकार के मामले में डीएम और एसएसपी को अपने स्तर से सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए। मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।

India Today

Opinion – NHRC: Beyond the rhetorical narrative of a toothless tiger

While ruling in a staged encounter case, the Delhi High Court observed that simply overlooking the recommendations of the NHRC would completely nullify the objective of India ratifying the Universal Declaration of Human Rights and render the institution ineffective.

https://www.indiatoday.in/opinion/story/national-human-rights-commission-nhrc-delhi-high-court-toothless-tiger-opinion-2674118-2025-02-04

Jyotika Kalra | New Delhi,UPDATED: Feb 4, 2025 07:07 IST

A division bench of the Delhi High Court on January 28 held that the recommendations made by the National Human Rights Commissions are binding in nature. While pronouncing the judgement, Justice Pratibha M Singh and Justice Amit Sharma, ruled that it is important that the National Human Rights Commission (NHRC) functions as a fierce defender of human rights instead of acting as a toothless tiger.

The ruling came during the hearing of a plea filed by a father who claimed that his son and 4 others were wrongfully killed in a staged encounter by the Special Cell of the Delhi Police in 2006. Then in 2014, acting on the plea made by the aggrieved father, the NHRC directed the Ministry of Home Affairs (MHA) (as Delhi Police comes under MHA) to pay a compensation of Rs 5 lakh to the next of kin of all the deceased persons. The MHA did not comply with the directive issued by the NHRC and the payment was never made. The plea filed by the father also sought a CBI inquiry and enforcement of NHRC's order granting compensation of â‚¹5 lakhs to the legal heirs of the deceased as directed by the NHRC.

The High Court, in its recent judgment, pulled the MHA for not complying with the order and held that NHRC's directive about the compensation was binding in nature. The court added that if the MHA disagreed with NHRC's order, then it had the option of moving the Supreme Court, but it could not simply overlook the recommendations made by the Human Rights Commission. The court then directed the MHA to release the compensation amount along with an 18 per cent interest rate within the next three months. In addition to this, it ordered another Rs 1 lakh to be paid to the aggrieved for litigation costs borne by the petitioner as the case had been unnecessarily delayed for too long.

The bench was of the view that simply overlooking the recommendations made by the commission would completely nullify the objective of India ratifying the Universal Declaration of Human Rights and would render the institution ineffective. This incident further highlighted the unfortunate condition of our judicial system. A grieving father who lost his son almost 2 decades ago in a fake encounter is yet to receive a nominal compensation of Rs 5 lakhs despite a recommendation by the National Human Rights Commission.

The order of the High Court came 19 years after the unfortunate incident, and it is still uncertain as to when the father will receive the compensation and whether he will receive the compensation or not. In a matter like this, which involved a grave violation of human rights by the state to the extent of taking away the life of a young man, ideally, the court should not have taken 10 years to arrive at a decision.

The Delhi High Court's recent ruling should not be seen as something new. The Allahabad High Court, in the past, has also passed a judgment on similar lines. In 2016, a Division Bench headed by the then Chief Justice of Allahabad High Court DY Chandrachud, and Justice Yashwant Varma held that the orders passed by the Commission are not merely recommendatory, and the state is duty bound to fully comply with them.

The NHRC was set up in 1993 as an independent statutory body under the Protection of Human Rights Act and was supposed to be a watchdog for human rights violations in the country. Since its establishment, there has been an ongoing debate over the powers of the commission, especially due to its inability to punish the wrongdoer, limited investigative authority and the non-binding nature of its recommendations. The role of NHRC should not only be mistaken as a forum for redressal of complaints. The Commission is also mandated to perform many other functions and complaint redressal is just one of them. Its other important functions include research, coordinating with Civil Society organisations, deliberations on important issues and sending recommendations to the government.

Just a few days ago, the incumbent NHRC Chairperson V. Ramasubramanian had also voiced his opinion on the mandate enjoyed by the Commission. He vociferously refuted claims of the commission being a toothless tiger, and added that it has powers equivalent to that of a civil court. While technically what the chairperson has said is right, it should be seen in the backdrop of the limited executive powers that the commission has.

While the NHRC can summon witnesses and demand documents, it lacks the essential enforcement powers. Unlike a court, the NHRC cannot issue a warrant; it is powerless when it comes to enforcing its own decisions. If somebody disobeys its directives, it cannot do anything as it lacks the contempt of court powers or execution power. If having limited powers like that of a civil court were to be believed as a benchmark for an institution like the NHRC, then even the Internal Committees (they investigate sexual harassment cases in workplaces) have powers similar to that of a civil court.

This mere similarity in a hand-picked section of power does not necessarily translate into its effectiveness. This view, presented by the NHRC chief, stands in contradiction with a previous comment made by another chairperson of the commission. Former NHRC Chairperson Justice HL Dattu once famously called the commission a "toothless tiger", which perfectly summed up the effectiveness of the institution. Just to give you another perspective, the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI), which acts as an international network of National Human Rights Institutions, has in the recent past deferred accreditation to the NHRC twice.

If we really want to strengthen the commission, then instead of getting into the futile rhetoric of whether the commission is a tiger with teeth or without teeth, we should rather address the more pressing and structural issues that hinder the free, fair, and effective functioning of the commission. To start with, NHRC should have the power to enforce its recommendations, which has the potential to improve its compliance significantly.

The commission should also be accorded the power of contempt for non-compliance with its order and the power of execution of its order. Further, the timely appointment of the chairperson and its members may seem like a basic requirement, but, believe it or not, this has been one of the contentious issues in the recent past. All of these can go on to significantly improve the NHRC's functioning if they are backed by a clear legislative framework.

But at the same time, the commission should also be subjected to legislative checks and balances to ensure that its increased powers are exercised responsibly and lawfully for the protection of human rights. Legislative checks and balances should ensure minimum scope for the misuse, overreach, or arbitrary use of power. The reason for such a proposition is that they shouldn’t end up becoming another institution that does little to achieve the tasks that it was intended to. The road ahead is a tightrope to walk on as we simply cannot afford to transform an important institution like NHRC into yet another tool to further the agenda of the political dispensation.

(Jyotika Kalra is an Advocate on Record, Supreme Court of India, and a former Member of the NHRC. The views expressed here are her own.)

Newspetrolling

Sai University is hosting Convocation 2025, featuring Shri N. R. Narayana Murthy as the Chief Guest alongside esteemed Board Members

https://newspatrolling.com/sai-university-is-hosting-convocation-2025-featuring-shri-n-r-narayana-murthy-as-the-chief-guest-alongside-esteemed-board-members/

Naman Bansal February 3, 2025 Career, Newz

Sai University is proud to announce the celebration of its inaugural convocation ceremony, set to take place on the 5th of February 2025 at the university campus. This landmark event will commence at 10:00 AM and will be a significant occasion for the university community as it honors the achievements of its first graduating class.

Event Details

Date: 5th February 2025 (Wednesday)

Venue: Sai University Campus, One Hub Road, OMR, Paiyanur, Chennai – 603104 (https://maps.app.goo.gl/dAobHKN8dJbyTrSV8)

Time: 10:00 AM

Honoring Excellence

We are privileged to welcome Padma Vibhushan N. R. Narayana Murthy, Founder and Former Chairperson of Infosys, as the Chief Guest, who will deliver the Convocation Address.

Dignitaries in August Presence

Padma Vibhushan Honourable Justice M. N. Venkatachaliah, Former Chief Justice of India and Former Chairman, National Human Rights Commission (online presence)

Shri Ashank Desai, Co-founder & Former Chairperson, Mastek; Co-founder & Chairman Emeritus, NASSCOM

Padma Shri V. Mohandas Pai, Chairman, Manipal Global Education

Shri Sriram Panchu, Senior Advocate, Madras High Court; Director, International Mediation Institute

Savita Mahajan, Former Deputy Dean, Indian School of Business

Bharti Gupta Ramola, Former Partner, PwC India

K. P. Krishnan, IAS, Former Secretary to the Government of India

Suneeta Reddy, Managing Director, Apollo Hospitals Group

Shri Bhaskaran Ramamurthi, Managing Director, Shraddha Saburi Printers

Shri K. Santhanaraman, Chartered Accountant, Fellow Member of ICAI, and Member of ICSI & ICWAI

Mohamed Rela, Chairman and Director, Dr. Rela Institute and Medical Centre

Debashis Chatterjee, Director & Distinguished Professor, Indian Institute of Management (IIM) Kozhikode

Celebrating Sai University's Vision

At Sai University, we are driven by the vision of fostering innovation, interdisciplinary and multidisciplinary learning, and global citizenship through education. By cultivating critical thinking and leadership, we aim to empower the next generation to become thought leaders and changemakers, driving societal transformation with integrity, knowledge, and compassion.

The convocation ceremony marks a significant milestone in the university's history, symbolizing the culmination of hard work, dedication, and perseverance exhibited by the first cohort of graduates. As they enter the professional world, these individuals are poised to become future leaders and innovators in their respective fields.

Event Highlights

Convocation Procession

Conferment of Degrees and Diplomas

Honorary Doctorate Ceremony

Awarding of Medals to Outstanding Graduates

Inspiring Addresses by Dignitaries

Interaction with Educators

This is a unique opportunity to witness the confluence of academic excellence, thought leadership, and Sai University's commitment to shaping the future.

We invite media representatives, faculty, students, and the public to join us in celebrating this proud moment for Sai University and its graduates.

Times of India

Trafficked from UP for bonded labour, 47 rescued from brick kiln in Moga

https://timesofindia.indiatimes.com/city/chandigarh/trafficked-from-up-for-bonded-labour-47-rescued-from-brick-kiln-in-moga/articleshow/117893826.cms

Neel Kamal / Feb 3, 2025, 23:32 IST

Bathinda: Acting on directions from the National Human Rights Commission (NHRC) and the National Commission for Protection of Child Rights (CPCR), Moga district administration on Monday rescued 47 persons, including 21 children, from a brick kiln which is accused of trafficking them to be engaged as bonded labour.
Nine others belonging to two families left the kiln before the district administration's team could reach the spot. In all, 56 people belonging to 10 families, including 26 children, were alleged to have been trafficked.
Delhi-based Nirmal Gorana, convener of National Campaign Committee for Eradication of Bonded Labour, lodged complaints with NHRC and CPCR on Jan 30, stating that 56 bonded labourers, including 16 men, 14 women, and 26 children belonging to 10 families from the SC community, were trafficked to Moga from Uttar Pradesh to work in the kiln. They took an advance from the contractor/employer (accused). To repay the said amount, workers had to work under harsh weather conditions without wages, he said. Due to fear of the accused, victims were reluctant to submit their statements.

Acting on a complaint, the assistant registrar (law) transmitted it to Punjab labour commissioner, Moga deputy commissioner, and SSP, issuing directions to investigate the allegations and rescue the workers. The children were to be rescued immediately and produced before the child welfare committee for rehabilitation as per the provisions of the Juvenile Justice Act, 2015, and the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986. The authorities were also directed to submit an action-taken report within a week for the commission's perusal.

The CPCR had also directed authorities in Moga to intervene urgently to rescue the children, take action as per the Juvenile Justice Act, 2015, and the Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, and send a copy of the FIR to the commission.
Acting on this, authorities sent a committee to investigate the complaint at the brick kiln, rescue the labourers if the complaint was found to be true, and register an FIR.
Moga deputy commissioner Vishesh Sarangal, when contacted, said, "Only this morning, the persons concerned met me. Immediately, a team was formed to look into the matter and rescue the bonded labourers if the facts in the complaint were true. Appropriate action will be taken against the accused if facts are found to be true, and an FIR will be lodged."
MSID:: 117889623 413 |

First Bihar

नवजात शिशु को कुत्तों के द्वारा खाये जाने के मामले में SSP को नोटिस, मानवाधिकार आयोग की सख़्ती के बाद प्रशासनिक महकमे में मचा हड़कंप!

राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग ने 3 फ़रवरी को सख्त रुख अपनाते हुए मुजफ्फरपुर एसएसपी को सदेह उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया है। आयोग ने कहा कि यदि पूरी जाँच रिपोर्ट 12 मार्च से पूर्व आयोग को प्राप्त हो जाये तो सदेह उपस्थिति को टाला जा सकता है।

https://firstbihar.com/bihar/muzaffarpur-news/human-rights-commission-gave-notice-to-muzaffarpur-ssp-bihar-839320

03-Feb-2025 03:37 PM

By MANOJ KUMAR

muzaffarpur news: मुजफ्फरपुर जिले के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में नवजात शिशु को कुत्तों के द्वारा खाये जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वरीय पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर को सशर्त सम्मन जारी किया है। आयोग ने एसएसपी मुजफ्फरपुर को सदेह उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी करते हुए कहा है कि यदि पूरी जाँच रिपोर्ट 12 मार्च से पूर्व आयोग को प्राप्त हो जाये तो सदेह उपस्थिति को टाला जा सकता है।

विदित हो कि विगत वर्ष 15 मई को श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के मुख्य द्वार पर एक नवजात बच्चे को कुत्तों के द्वारा नोच-नोचकर खाया जा रहा था, कुत्ते घंटों तक नवजात बच्चे को नोचते रहे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन या पुलिस की ओर से कोई पहल नहीं हुई। यहाँ तक कि अस्पताल के गार्ड भी तमाशबीन बने रहे। विगत वर्ष 15 जनवरी को भी कुत्ते के द्वारा एक नवजात बच्चे को खाये जाने का मामला प्रकाश में आया था, जो राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष विचाराधीन है।

मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग में इन सभी मामलों में याचिका दायर की थी और मामले की गंभीरता पूर्वक जाँच करते हुए दोषियों पर कठोर-से-कठोर कार्रवाई की माँग की थी। उसके बाद मानवाधिकार आयोग ने जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद जिले की प्रशासनिक व्यवस्था मामले को लेकर सक्रिय हो गई। इस पूरे मामले में अहियापुर थाने में तीन अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई, जो अहियापुर थाना कांड संख्या 75/24, 1429/24 तथा 1500/24 हैं। उसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तीनों प्राथमिकी की वर्तमान स्थिति और जाँच के बारे में मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन से लगातार रिपोर्ट माँग रही है, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन द्वारा आयोग को रिपोर्ट नहीं नहीं दिया जा रहा है।

उसके बाद 3 फ़रवरी को आयोग ने सख्त रुख अपनाते हुए एसएसपी मुजफ्फरपुर को सदेह उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया है। आयोग ने कहा कि यदि पूरी जाँच रिपोर्ट 12 मार्च से पूर्व आयोग को प्राप्त हो जाये तो सदेह उपस्थिति को टाला जा सकता है, अन्यथा एसएसपी मुजफ्फरपुर स्वयं उपस्थित होकर जबाव देंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सख़्ती के बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मची हुई है।

मामले के सम्बन्ध में मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने बताया कि यह पूरा मामला काफी हृदय विदारक है तथा मानवाधिकार उल्लंघन के अतिगंभीर श्रेणी का मामला है। इस पुरे मामले की गंभीरतापूर्वक व गहनतापूर्वक जाँच की नितांत आवश्यकता है और इस प्रकार के मामले में डीएम और एसएसपी को अपने स्तर से सुधार हेतु प्रयास करना चाहिए। मामले में अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी।

The Followup

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किया मुजफ्फरपुर SSP को तलब, इस केस में जारी किया समन

https://thefollowup.in/bihar/news/national-human-rights-commission-summoned-muzaffarpur-ssp-summons-issued-in-this-case-56951.html

BY Rupali Das Feb 03, 2025

द फॉलोअप डेस्क

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुजफ्फरपुर के SSP को तलब कर समन जारी किया है। इसमें SSP को सशरीर आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, यह समन श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SKMCH) से जुड़े एक गंभीर मामले में जारी किया गया है। इसमें एक नवजात शिशु को कुत्तों द्वारा नोच-नोचकर खाये जाने का मामला सामने आया था।नवजात शिशु को खाए जाने का है मामला बताया जा रहा है कि 15 मई 2024 को मुजफ्फरपुर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेन गेट पर एक नवजात बच्चे को कुत्तों ने घायल किया था। यह घटना घंटों तक चलती रही, लेकिन अस्पताल प्रबंधन और पुलिस की ओर से किसी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई। अस्पताल के गार्ड भी इस दिल दहला देने वाली घटना को तमाशबीन बनकर देख रहे थे। इसी तरह की एक और घटना 15 जनवरी 2024 को भी सामने आई थी। इसमें एक नवजात शिशु को कुत्तों ने खा लिया था। इन्हीं घटनाओं को लेकर मानवाधिकार अधिवक्ता एस के झा ने राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की थी।3 केस हैं दर्ज जानकारी हो कि आयोग ने मुजफ्फरपुर के DM को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था सक्रिय हुई। इस पूरे मामले में अहियापुर थाने में 3 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। हालांकि, जब आयोग ने मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन से इन मामलों की जांच रिपोर्ट मांगी, तो प्रशासन द्वारा रिपोर्ट नहीं दी गई। इस वजह से आयोग ने 3 फरवरी को सख्त कदम उठाते हुए SSP को समन जारी किया। आयोग ने कहा कि अगर जांच रिपोर्ट 12 मार्च तक मिल जाती है, तो SSP की उपस्थिति को टाला जा सकता है। अन्यथा उन्हें खुद उपस्थित होकर मामले के संबंध में जवाब देना होगा।

मानवाधिकार उल्लंघन की गंभीर श्रेणी में है मामला

इस मामले को मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के. झा ने मानवाधिकार उल्लंघन की गंभीर श्रेणी में रखा है। साथ ही इसे गहनता से जांचे जाने की आवश्यकता जताई है। उनका कहना है कि इस प्रकार की घटनाओं में जिला प्रशासन को सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए। इस मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। ऐसे में उम्मीद है कि तब तक प्रशासन मामले में ठोस कार्रवाई करेगा।

Hindustan

महाकुंभ भगदड़ का मामला NHRC पहुंचा, शिकायत दर्ज, VIP पास जारी करने वाले अफसरों पर केस की मांग, Uttar-pradesh Hindi News

https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/mahakumbh-stampede-case-reaches-nhrc-demand-for-case-against-officers-issuing-vip-passes-201738599335883.html

3 फ़रवरी 2025

महाकुंभ भगदड़ का मामला NHRC पहुंचा, शिकायत दर्ज, VIP पास जारी करने वाले अफसरों पर केस की मांग

कुंभ हादसे का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। वीवीआईपी और वीआईपी पास जारी करने वाले अधिकारियों को इस हादसे का दोषी बताते हुए केस दर्ज कराने का अनुरोध किया है। आयोग ने शिकायत दर्ज कर ली है।

कुंभ हादसे का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। वीवीआईपी और वीआईपी पास जारी करने वाले अधिकारियों को इस हादसे का दोषी बताते हुए केस दर्ज कराने का अनुरोध किया है। आयोग ने शिकायत दर्ज कर ली है। रामपुर की मॉडल कालोनी निवासी डीके फाउंडेशन आफ फ्रीडम एंड जस्टिस के डायरेक्टर दानिश खां ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज करायी है। जिसमें प्रयागराज में कुछ दिन पूर्व घटित घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने एवं गहन जांच करने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

ऑर्गनाइजेशन का आरोप है कि वीआईपी संस्कृति ख़त्म करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी 2024 वीआईपी संस्कृति को खत्म करने की घोषणा की थी उसके बाद भी पास बाटें गए? दायर याचिका में कहा कि महाकुंभ में हुये हादसे के ज़िम्मेदार वही लोग है जिन्होंने वीआईपी पास वितरित किए हैं। उन्होंने इन सभी अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना माना, लेकिन याचिका पर विचार से इनकार

उधर, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रयागराज में संगम पर हो रहे महाकुंभ में 29 जनवरी को हुई भगदड़ की घटना को 'दुर्भाग्यपूर्ण बताया। हालांकि शीर्ष अदालत ने महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देशों और नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में प्रयागराज में 29 जनवरी को अमृत स्नान से कुछ देर पहले मची भगदड़ की घटना के लिए जिम्मेदार लोगों, अधिकारियों और प्राधिकारों के खिलाफ समुचित कार्रवाई करने का आदेश देने की भी मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि 'यह (महाकुंभ में भगदड़ की घटना) एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो चिंता का विषय है। इसके साथ ही, पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि हम याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है, आप अपनी मांग को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाइए। इसके साथ ही पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया। 29 जनवरी को मची भगदड़ में कम से कम

30 लोगों की मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश तब दिया, जब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पीठ से कहा कि 'महाकुंभ में मची भगदड़ की घटना को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पहले ही एक याचिका दाखिल की जा चुकी है, ऐसे में मौजूदा याचिका पर इस अदालत (सुप्रीम कोर्ट) में सुनवाई नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने पीठ से कहा कि घटना की न्यायिक जांच शुरू की गई है।

अधिवक्ता विशाल तिवारी ने संविधान के अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना के लिए जिम्मेदार लोगों, अधिकारियों के खिलाफ समुचित कार्रवाई करने की मांग की थी। उन्होंने याचिका में महाकुंभ और इस तरह की भीड़भाड़ वाले आयोजन में भगदड़ की घटनाओं को रोकने और अनुच्छेद 21 के तहत समानता और जीवन के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए आदेश जारी करने की मांग की थी। अधिवक्ता तिवारी ने शीर्ष अदालत में केंद्र के साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी पक्षकार बनाते हुए याचिका में कहा था कि 'महाकुंभ में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं, इसलिए उनको सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए सभी को सामूहिक रूप से मिलकर कर काम करने की जरूरत है। याचिका में शीर्ष अदालत से इस बारे में केंद्र और सभी राज्यों को निर्देश जारी करने का आग्रह किया था।

याचिकाकर्ता तिवारी ने राज्य सरकारों को महाकुंभ में लोगों की सुविधा के लिए विशेष निर्देश, नीतियां और नियम जारी करने, भगदड़ की घटनाओं से बचने, लोगों की सुरक्षा, व्यवहार्यता आदि सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन निर्धारित करने और स्थिति रिपोर्ट मंगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया था। याचिका में कहा गया था कि सभी राज्यों को प्रयागराज में सुविधा केंद्र स्थापित करने चाहिए ताकि सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जा सके और आपात स्थिति में अपने संबंधित निवासियों की सहायता की जा सके। याचिका में महाकुंभ में भीड़भाड़ को रोकने और भीड़ की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए वीआईपी प्रोटोकॉल की जगह सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए आदेश जारी करने की मांग की गई थी।

याचिका में कहा गया था कि वीआईपी मूवमेंट के चलते आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए और महाकुंभ में श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के लिए अधिकतम स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

Dainik Bhaskar

महाकुंभ भगदड़ मामले में बड़ी कार्रवाई:मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज, वीवीआईपी पास वितरण की जांच की मांग

https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/rampur/news/big-action-in-maha-kumbh-stampede-case-134407179.html

शन्नू खान | रामपुर8 घंटे पहले

प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ त्रासदी के मामले में डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। फाउंडेशन ने वीवीआईपी पास वितरण को इस घटना का मुख्य कारण बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए

फाउंडेशन के मुखिया दानिश खान ने याचिका में उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2024 में वीआईपी कल्चर समाप्त करने की घोषणा की थी। इसके बावजूद महाकुंभ में बड़े पैमाने पर वीवीआईपी पास वितरित किए गए। जिसने भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न की।

याचिका में मांग की गई है कि वीवीआईपी पास जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। पूरे मामले की गहन जांच की जाए। रामपुर निवासी दानिश खान का कहना है कि इस त्रासदी के लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।